को पत्रावली वास्ते आदेश
17/11/17 को पेश हो।

सहायक कलक्टर,

31/10/17 प्रार्थी/वादी के निवेदन पर पत्रावली आज तलब हुई। वादी मय वकील उपस्थित होकर निवेदन किया कि वादी द्वारा एक वाद अदालत श्री में बाबत नये खसरा नम्बर 274, 275, 276, 277 कुल रकबा 31.10 बीघा मौजा सिवाना के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया और उक्त भूमियो में 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित करने का अनुतोष इस आधार पर चाहा कि उपरोक्त नये खसरे के पुराने खसरा नम्बर 62 वादी के नाना के खातेदारी का था उक्त वाद में आज अदालत श्री द्वारा दिनांक 13.04.15 को निर्णय पारित करते हुए वाद को खारिज कर दिया जिसके विरुद्ध राजस्व अपील संख्या 13/15 राजस्व अपील न्यायालय में प्रस्तुत हुई जो तारीख 30.08.17 को निर्णित होकर पुन: अदालत में रिमाण्ड किया गया इस दरम्यान पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी राजीनामा हो गया आपसी राजीनामा के अनुसार उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 28 जोगाराम के नाम दर्ज हुई थी,

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जोगाराम ने तत्पश्चात पुखराज पुत्र सोनाराम, पुखराज पुत्र अदाराम को बेचान कर दी और पुखराज माली व पुखराज पुरोहित द्वारा उक्त भूमि आगे पहाडसिंह पुत्र खीमसिंह रावणा राजपूत निवासी सिवाना को बेचान कर दी जो पहाडसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। इस कारण अब वादी उपरोक्त खरीददारो के विरूद्व कोई अनुतोष नहीं चाहता है और न ही इस सम्बन्ध मे हक,हित या अधिकार या क्लमे चाहता है राजस्व रेकर्ड में जो प्रविष्टया दर्ज हुई है उससे वादी सहमत है। उक्त भूमि में वादी डायाराम का कोई हक हिस्सा नहीं है न भविष्य में कभी रहेगा। उक्त भूमि के बारे में कोई प्रकार को कोई उज्र ऐतराज वादी द्वारा नहीं किया जायेगा। इस कारण वादी वर्तमान वाद आगे चलाना नहीं चाहता है तथा मौके पर कब्जा वर्तमान खातेदार का है । खर्चे हर्जे बाबत ऐतराज नहीं है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया । उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगणो द्वारा कोई काउण्टर क्लेम प्रस्तुत नहीं किया है । अतः वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद जरिये राजीनामा विड्रोल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। सहायक कलक्टर S.D.O. सिवाना	